

कार्यालय प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय  
नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर-302005  
(सूचना का अधिकार शाखा)

फा. सं. V(Tech)RTI/83/2019/ 2384  
सेवा में, 25-9-19

दिनांक: .09.2019

श्री संतोष कुमार वर्मा,  
डी-154, स्पेज़ प्रिवी अपार्टमेंट्स,  
सेक्टर-72, फाजिलपुर, सोहना रोड,  
गुडगाँव - 122101 |

विषय: - सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत चाही सूचना के क्रम में |

महोदय,

कृपया आपका सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किया आवेदन पत्र दिनांक 22.08.2019 जो कि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, सीजीएसटी व उत्पाद शुल्क, जयपुर को दिनांक 23.08.2019 को प्राप्त हुआ का सन्दर्भ देखें |

इस सम्बन्ध में आपके द्वारा चाही जानकारी "तत्कालीन उपायुक्त/केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी कार्यालय आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर प्रथम द्वारा आवेदक के तत्कालीन पते 53, Gali NO. 3, Gangasagar-B Vaishali Nagar Jaipur - 302021 पर प्रेषित निम्नांकित पत्र एवं उसके संलग्न पत्रादि प्रत्येक की तीन तीन प्रमाणित प्रतियाँ प्रदान करने की कृपा करें : V(Tech.)RTI/101/2014/2854 dated 03.11.2014" आपको उपलब्ध करवायी जा रही है |

"यदि सूचना लेने वाले व्यक्ति को सूचना से असंतुष्टि है तो वह प्रथम अपीलीय प्राधिकरण, श्री मंजूर अली अंसारी, अपर आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु, सेवा कर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, नव राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर - 302005 को इस निर्णय की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं।"


भवदीय,

- 51 -

सहायक आयुक्त/ के.लो.सू. अधिकारी,  
केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,  
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. बेब मास्टर/अपर आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर को जोनल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु |
2. मुख्य लेखाधिकारी, केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर कृपया मूल पोस्टल आर्डर 45F 948744 Rs.10/- एवं 09B 966114 Rs. 2/- प्राप्त करें |



सहायक आयुक्त/ के.लो.सू. अधिकारी,  
केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,  
जयपुर।